न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 40/2022

1. पीरदान पुत्र केसरा जाति चमार मेघवंशी निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. लेखराम पुत्र केसरा जाति चमार मेघवंशी निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट्स

बनाम

1. देवीलाल पुत्र केसरा जाति चमार मेघवंशी निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. भालाराम पुत्र केसरा जाति चमार मेघवंशी निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. कंचन पत्नी हंसराज जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय क्रमांक 4 दिनांक 13.02.2006 कार्यालय तहसीलदार (भू— अ०) हनुमानगढ़ प्रकरण संख्या—4/2006 जिसकी रूह से विशेष राजस्व अभियान 2006 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत विभाजन को स्वीकार कर निर्णय पारित किया गया। बमुराद मंसूखी उक्त निर्णय एवं स्वीकार किये जाने अपील अपीलांट

उपस्थितः— 1. श्री प्रधुमन सिंह परमार अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री रामस्वरूप वर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 02
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

—:निर्णयः—

दिनांकः —30.03.2026

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्रीमान् तहसीलदार (भू०अ०) हनुमानगढ़ के समक्ष अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने विशेष राजस्व अभियान 2006 में परस्पर विभाजन / विनिमय धारा 53/48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 17 के.एस. पी. जमाबंदी सम्वत् 2061—2064 के पत्थर नम्बर 134/317 (31) किला नम्बर 7 ता 14, 17 ता 24 तादादी 4.048 हैक्टेयर (नहरी 1.518 हैक्टेयर व बरानी 2.530 हैक्टेयर), पत्थर नम्बर 133/317 (30) किला नम्बर 6 तादादी 0.253 कुल तादादी 4.301 हैक्टेयर नहरी अनकमांड मय गैरमुमकिन कृषि भूमि है। प्रार्थीगण उपरोक्त रकबे को विनिमय/विभाजन अन्तर्गत धारा 48/53 के तहत अब निम्न प्रकार करवाना चाहते हैंः—1) देवीलाल वल्द केसराराम कौम मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा चक 17 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 134/317 (31) किला नम्बर 7/.190, 11/.127, 12 ता 14 तादादी 1.076 हैक्टेयर 1) पीरदान वल्द केसराराम कौम मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा चक 17 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 134/317 (31) किला नम्बर 11/.126, 17 ता 19, 20/.190 तादादी 1.075 हैक्टेयर 1) भालाराम वल्द केसराराम कौम मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा चक 17 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 134/317 (31) किला नम्बर 7/.063, 8 ता 10, पत्थर नम्बर 133/317 (30) किला नम्बर 6 कुल तादादी 1.075 हैक्टेयर 1) लेखराम वल्द केसराराम कौम मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा चक 17 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 134/317 (31) किला नम्बर 20/.063, 21 ता 24 तादादी 1.075 हैक्टेयर उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उनके नाम से धारित कृषि भूमियों का उपरोक्तानुसार विनिमय / विभाजन स्वीकार करके उपरोक्तानुसार रिकार्ड में अंकन

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

करने की स्वीकृति प्रदान करें। तहसीलदार (भू०अ०) हनुमानगढ़ द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को विशेष राजस्व अभियान 2006 में उसी दिन लेकर प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार विभाजन का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने हेतु निर्णय दिनांक 13.02.2006 को पारित किया। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 आपस में सगे भाई हैं और उनकी चक 17 केएसपी के पत्थर नम्बर 134/317 मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 7 ता 14, 17 ता 24 व पत्थर नम्बर 133/317 मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 6 कुल तादादी 4.301 हैक्टेयर नहरी अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन कृषि भूमि में तय हिस्सा अनुसार बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। प्रत्यर्थी संख्या 2 परिवार के समस्त कार्यों की देखभाल करता था और परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा उस पर पूरा विश्वास किया जाता था। वर्ष 2006 में विशेष राजस्व अभियान के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या–1 को उक्त वर्णित कृषि भूमि के खाता विभाजन के बारे में कहा जिसमें अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा यह तय किया गया कि उक्त कृषि भूमि में अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा किया जायेगा, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या–2 ने अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या–1 को बिना जानकारी दिये धोखे से स्वयं. समस्त नहरी कृषि भूमि व अच्छी किस्म की भूमि अपने नाम करवाकर खाता अलग करवा लिया और अभियान के दौरान प्रिंटेड व खाली स्टाम्प व प्रफोर्मा पर अंगूठे व हस्ताक्षर करवाये और यह भी आश्वासन दिया कि अच्छी मंदी व मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन करवाया जायेगा, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर अच्छी किस्म की भूमि अपने नाम करवाई। उक्त निर्णय विशेष राजस्व अभियान 2006 में दिनांक 13.02.2006 को पारित किया गया जिसे अपीलार्थीगण निम्न आधारों पर चुनौती देते हैं:– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के द्वारा विभाजन के लिए तय किये गये नियमों को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। क्योंकि राजस्व नियमों के अनुसार विभाजन किये जाने से पूर्व मौका की स्थिति को रिकार्ड पर लिया जाकर व कब्जा काश्त के अनुसार अथवा अच्छी मंदी किस्म को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जाना न्यायहित में था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियान के दौरान खानापूर्ति करते हुए रास्ते खाले व सिंचाई की सुविधा को मध्यनजर न रखते हुए निर्णय दिया गया है जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अपीलाधीन आदेश के पश्चात् से अब तक उक्त कृषि भूमि को संयुक्त रूप से ठेका पर काश्त हेतु दी जाती रही है इस कारण अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी इस आधार पर नहीं हुई कि उन्हें अपीलाधीन आदेश पर कौन कौन से किल्ले प्राप्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश के सम्बंध में कोई विस्तृत निर्णय नहीं लिखाया गया है इस कारण अपीलाधीन आदेश निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, उसके सम्बंध में अपीलार्थीगण को न कोई जानकारी हुई और ना ही मौका पर अपीलाधीन आदेश के अनुसार काश्त है। क्योंकि अपीलाधीन आदेश को अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण द्वारा कब्जा काश्त में लागू नहीं किया गया। इसी क्रम में देवीलाल ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि विक्रय कर दी है जिसे प्रत्यर्थी संख्या–3 संयोजित किया गया है। अपीलाधीन आदेश के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अब नहरी अध्यक्ष को अपने नाम पानी की पर्ची बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की जानकारी हुई तो अपीलार्थीगण ने अपने पुत्रों को साथ लेकर तहसील में आकर अपीलाधीनआदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की और प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात् बिना किसी देरी के अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2006 जो कि बिना किसी अधिकारिता के दिया गया है, को निरस्त किया जावे व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस टिप्पणी के साथ पुनः प्रेषित की जावे कि अधीनस्थ न्यायालय काश्तकारी नियमों के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट 02, जरिये अभिभाषक तथा रेस्पोडेन्ट सं0 04 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोंडेंन्ट संख्या 01 व 03 अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

2006 जो कि बिना किसी अधिकारिता के दिया गया है, को निरस्त किया जावे व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस टिप्पणी के साथ पुनः प्रेषित की जावे कि अधीनस्थ न्यायालय काश्तकारी नियमों के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 02 ने बहस में कथन किये कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेंन्ट संख्या 01 व 02 एक ही परिवार के सदस्य है, अपीलाण्ट व रेस्पोडेंन्ट के मध्य सहमति से विभाजन हुआ है, जिस समय विभाजन हुआ था उस से पूर्व भी भूमि पर कब्जा इसी प्रकार था जिस प्रकार विभाजन के बाद तय हुआ था। अपीलाण्ट संख्या 01 शिक्षित है एवं विभाजन का शुरू से ही ज्ञान रहा है। रेस्पोडेंन्ट संख्या 01 द्वारा अपने हिस्सा की भूमि रेस्पोंडेन्ट सं. 03 को विक्रय कर दी गई, विक्रय पत्र से भूमि का नामांन्तकरण होने के उपरान्त रेस्पों. संख्या 03 ने अपने नाम पानी की बारी करवा ली थी, इससे भी अपीलाण्ट को उक्त विभाजन का ज्ञान था। प्रार्थी द्वारा विभाजन अनुसार पानी बारी की पर्ची अपने नाम करवाना चाहा तो अपीलाण्ट ने द्वेषवंश अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील 16 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील हर प्रकार से मियाद बाहर है जो खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट मय खर्चा खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे।।

रेस्पोडेन्ट सं0 04 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ का आदेश का विधि अनुसार है, इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. प्रकरण में प्रथमतः विलम्ब के बिन्दू का निस्तारण किया जाना है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 का अवलोकन किया, इसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 19.10.2022 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में अपीलांट द्वारा कब व किसके द्वारा नामान्तरण की जानकारी हुई अंकन नहीं किया है, केवल अनुमान के आधार पर अंकन किया है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय–समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में भी नामान्तरण के बारे में कब, कैसे पता चल स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया है। उक्त आदेश 2006 से 2022 तक सोलह वर्ष देरी से प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट द्वारा आपसी सहमति से विनिमय/ विभाजन हेतू स्वयं के हस्ताक्षरीत प्रार्थना पत्र पेश करने पर ही उक्त ईन्तकाल दर्ज किया गया है ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता कि अपीलांट को प्रश्नगत विभाजन आदेश दिनांक 13.02.2006 की जानकारी नहीं हों।

इस प्रकार अपीलाधीन खाता विभाजन के लगभग 16 वर्ष 08 माह का समय व्यतीत होने के बाद अपील प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट मियाद अवधि से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 04/2006 में जारी आदेश दिनांक 13.02.2006 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ